प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 29/10/2026

थाना चौरी पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध पटाखों के जखीरे के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 152.600 किलोग्राम अवैध पटाखा बरामद

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 29.10.2026 को थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान छापेमारी कर अवैध पटाखों के भंडारण और निर्माण के संबंध में कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/2026 व मु0अ0सं0 177/2026 अन्तर्गत धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अरविन्द कुमार जायसवाल पुत्र ज्ञानेन्द्र जायसवाल, निवासी: ग्राम चौरी बाजार (कोल्हण), थाना चौरी, जनपद भदोही (उम्र करीब 32 वर्ष)

2. आरजू सोनकर पुत्र रविन्द्र सोनकर, निवासी: ग्राम वेदमनपुर, थाना चौरी, जनपद भदोही (उम्र करीब 19 वर्ष)

3. बिरजू सोनकर पुत्र स्व० पन्नालाल, निवासी: ग्राम वेदमनपुर, थाना चौरी, जनपद भदोही (उम्र करीब 28 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

• कुल अवैध पटाखा- 152.600 किलोग्राम।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने बिना किसी वैध लाइसेंस/अनुमति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों (घर और किराये के मकान) में अत्यधिक लापरवाही और असुरक्षित तरीके से इन अवैध पटाखों को छुपाकर रखा था, जिससे मानव जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना चौरी पुलिस टीम से थानाध्यक्ष कुलदीप कुमार मिश्रा, उ0नि0 नथुनी सिंह (चौकी प्रभारी चौरी), उ0नि0 बाबूराम यादव, उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, हे०कां० छत्तीश चौहान, हे0का0 आदित्य नारायण यादव, कां० दीपक कुमार द्वितीय, कां० अरविन्द कुमार, कां० बृजेश यादव, कां० विकास जायसवाल, म०कां० सलमा सिंह, म०कां0 रुचि सिंह थाना चौरी जनपद भदोही।